

निर्वाचन की आम सूचना

निर्वाचन कार्यालय रामेश्वरम रेजीडेंसी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी बजाजग्राम, सांवली
सीकर

RegNo.COOP/2021/Sikar/201109
कार्यकारिणी निर्वाचन कार्यक्रम - वर्ष 2026

क्र.सं./चुनाव /2026/920-928

दिनांक 05-07-2026

रामेश्वरम रेजीडेंसी के मालिको को सूचित किया जाता है कि रामेश्वरम रेजीडेंसी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी बजाजग्राम, सांवली सीकर के निर्वाचन हेतु चुनावो की घोषणा कर दी गई है जिसमे नामांकन जारी करने की प्रक्रिया दिनांक 05. 07.2026 से प्रारंभ एवं नामांकन जमा करने की अंतिम तिथी 12.07.2026 शाम 5 बजे तक तथा निर्वाचन दिनांक 19.07.2026 से सुबह 9.00 बजे से शाम 3 बजे तक है। चुनाव से संबंधित अन्य सभी जानकारी हेतु सोसाइटी कार्यालय में कार्यालय समय में संपर्क करे ?


निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम रेजीडेंसी अपार्टमेंट
ऑनर्स वेलफेयर समिति, सीकर

निर्वाचन कार्यालय रामेश्वरम रेजीडेंसी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी बजाजग्राम, सांवली सीकर

क्र.सं./चुनाव /2026/920-928

दिनांक 05-07-2026

प्रतिलिपि:-

1. दैनिक उद्योग आस- पास F-55 जयपुर रोड सीकर के प्रकाशक से निवेदन है कि सूचना को प्रकाशन करावे।
2. सोसाइटी नोटिस बोर्ड
3. लिफ्ट 1,2,3,4,6, और 7
4. निर्वाचन कार्यालय नोटिस बोर्ड


निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम रेजीडेंसी अपार्टमेंट
ऑनर्स वेलफेयर समिति, सीकर

रामेश्वरम रेजीडेंसी ऑनर्स वेलफेयर सोसाइटी बजाजग्राम, सांवली सीकर

RegNo.COOP/2021/Sikar/201109

कार्यकारिणी निर्वाचन कार्यक्रम – वर्ष 2026

क्र.सं./चुनाव /2026 /919

दिनांक 05/07/26

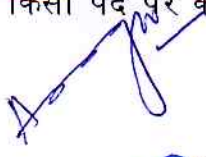
चुनाव समिति द्वारा सोसायटी की कार्यकारिणी के निर्वाचन हेतु, सोसायटी के उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। सभी पात्र सदस्यों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय का पालन करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लें।

निर्वाचन कार्यक्रम

क्र.सं.	निर्वाचन कार्य	दिनांक	समय
1	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा	05 जुलाई 2026	प्रातः 10:00 बजे
2	नामांकन पत्र जारी	05 जुलाई 2026	प्रातः 10:00 बजे से
3	नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	12 जुलाई 2026	सायं 5:00 बजे तक
4	नामांकन पत्रों की जाँच (Scrutiny)	13 जुलाई 2026	प्रातः 11:00 बजे
5	वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन एवं अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन	13 जुलाई 2026	सायं 5:00 बजे
6	नाम वापस लेने की अंतिम तिथि	15 जुलाई 2026	सायं 5:00 बजे तक
7	अंतिम प्रत्याशी सूची का प्रकाशन	16 जुलाई 2026	प्रातः 11:00 बजे
8	मतदान दिवस एवं स्थान	19 जुलाई 2026 (रविवार)	रामेश्वरम रेजीडेंसी कार्यालय परिसर प्रातः 9:00 am बजे से दोपहर 3:00 pm बजे तक
9	मतगणना एवं परिणाम की घोषणा	19 जुलाई 2026	मतगणना पूर्ण होने के तुरंत बाद

निर्वाचन संबंधी निर्देश

- केवल सोसायटी के पात्र एवं वैध सदस्य ही नामांकन प्रस्तुत करने तथा मतदान करने के अधिकारी होंगे।
- प्रत्येक प्रत्याशी निर्धारित प्रपत्र में, प्रस्तावक एवं अनुमोदक के हस्ताक्षरों सहित, नियत समय सीमा के भीतर नामांकन पत्र प्रस्तुत करेगा।
- निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- नामांकन पत्रों की जाँच के उपरांत वैध प्रत्याशियों की सूची सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी।
- नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के बाद प्रकाशित सूची को अंतिम प्रत्याशी सूची माना जाएगा।
- यदि किसी पद पर केवल एक वैध प्रत्याशी होगा, तो उसे निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा।


निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम रेजीडेंसी अपार्टमेंट
ऑनर्स वेलफेयर समिति, सीकर





7. यदि किसी पद पर एक से अधिक वैध प्रत्याशी होंगे, तो 19 जुलाई 2026 को गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचन कराया जाएगा।
8. मतगणना मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद चुनाव समिति की उपस्थिति में की जाएगी तथा परिणाम तत्काल घोषित किए जाएंगे।
9. निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में चुनाव समिति का निर्णय, सोसायटी के उपविधियों के अधीन, अंतिम एवं मान्य होगा।

स्थान: बजाजग्राम, सांवली

दिनांक: 05 जुलाई 2026

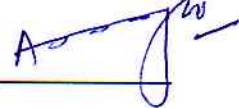
चुनाव समिति

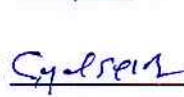
- (1) निर्वाचन अधिकारी (2) सहायक निर्वाचन अधिकारी (3) सहायक निर्वाचन अधिकारी

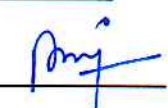
नाम: ARJUN LAL PINGOLIYA

नाम: Dr. Sushil Singh

नाम: POOJA

हस्ताक्षर: 

हस्ताक्षर: 

हस्ताक्षर: 

निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम् रेजीडेंसी आनर्स वेलफेयर सोसाइटी
रामेश्वरम् रेजीडेंसी अपार्टमेंट
आनर्स वेलफेयर समिति, सीकर

आवश्यक नोट :-

1. जिस किसी भी फ्लैट मालिक का Maintenance या अन्य कोई बकाया है वो दिनांक 12 जुलाई 2026 को शाम 4Pm तक जमा करवा देवे अन्यथा वे मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले पायेंगे जिसके लिए वे स्वयं ज़िम्मेदार रहेगे।
2. नामांकन पत्र रामेश्वर रेजीडेंसी सोसाइटी कार्यालय से, कार्यालय समय में प्राप्त करे इस हेतु किसी प्रकार की सहायता के लिए अधिकृत कार्मिक श्री सुरेश कुमार से संपर्क करे। (मोबाइल नंबर 8741957791)
3. मतदान सूची एवं बकाया फ्लैट मालिकों की सूची सभी वैध मतदाताओं के अवलोकनार्थ कार्यालय समय में उपलब्ध रहेगी।



निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम् रेजीडेंसी अपार्टमेंट
आनर्स वेलफेयर समिति, सीकर

मतदाता एवं प्रत्याशी के लिए आवश्यक शर्तें एवं पात्रता

नामांकन पत्र प्रस्तुत करने वाले प्रत्येक प्रत्याशी के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी—

निर्वाचन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के लिये होंगे।

1. प्रत्याशी सोसायटी का विधिवत एवं वैध सदस्य होना चाहिए।
2. प्रत्याशी का नाम अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में होना अनिवार्य है।
3. प्रत्याशी के विरुद्ध सोसायटी के उपविधियों, के अंतर्गत ऐसी कोई अयोग्यता नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण वह चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो।
4. प्रत्याशी पर निर्धारित तिथि तक कोई देय बकाया नहीं होना चाहिए और इस हेतु प्रत्याशी को सोसायटी से अदेय (No Dues) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. प्रत्येक नामांकन पत्र पर एक प्रस्तावक एवं एक अनुमोदक के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा, जो स्वयं सोसायटी के वैध सदस्य एवं मतदाता हों।
6. नामांकन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर, आवश्यक दस्तावेजों सहित, निर्धारित तिथि एवं समय के भीतर निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
7. निर्धारित समय के बाद प्राप्त नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
8. नामांकन पत्र में किसी प्रकार की भ्रामक, असत्य अथवा अपूर्ण जानकारी पाए जाने पर नामांकन निरस्त किया जा सकता है।
9. प्रत्याशी निर्धारित तिथि तक लिखित आवेदन देकर अपना नामांकन वापस ले सकता/सकती है।
10. निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच के पश्चात वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी।
11. निर्वाचन अधिकारी का निर्णय, सोसायटी के उपविधियों एवं लागू विधिक प्रावधानों के अधीन, निर्वाचन प्रक्रिया के लिए मान्य एवं प्रभावी होगा।
12. प्रत्येक प्रत्याशी निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शालीन आचरण बनाए रखेगा तथा किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव, दबाव, प्रलोभन अथवा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास नहीं करेगा।
13. चुनाव में केवल फ्लैट मालिक ही भाग ले सकेगे
(क) मतदान हेतु वो ही सदस्य योग्य माना जायेगा जिसका नाम फ्लैट के ओनरशिप दस्तावेज में दर्ज है यदि दस्तावेज में 2 सदस्यों के नाम संयुक्त रूप से है तो उनमें से केवल 01 ही मतदान के लिए योग्य माना जायेगा।

निर्वाचन अधिकारी

रामेश्वरम् के.जी.के.सी. एम.ए.सी.मेंट
आनंद...

- (ख) मतदान के लिए फ्लैट मालिक को मतदान के समय अपनी पहचान का ऐसा दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है जिससे यह पुष्टि हो सके कि वो फ्लैट का मालिक है ।
- (ग) फ्लैट का मालिकाना हक रखने वाले सयुक्त/ एकल दावेदारों में से केवल 01 ही सदस्य चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेगा ।
- (घ) प्रत्याशी द्वारा उपरोक्त तीनों पदों में से केवल 01 ही पद पर आवेदन स्वीकार किया जाएगा ।
14. वोटर लिस्ट का प्रमाणन सोसायटी द्वारा ही किया जायेगा एवं चुनाव कार्य इसके आधार पर ही सम्पादित किया जायेगा ।
15. किसी फ्लैट की रजिस्ट्री यदि महिला के नाम से है तो पति चुनाव प्रक्रिया में बतौर प्रत्याशी एवं मतदाता के रूप में भाग नहीं ले सकेगा ।
16. किसी व्यक्ति के पास एक या एक से अधिक फ्लैट का मालिकाना हक है तो उसे उतने ही वोट देने का अधिकार होगा । (उदाहरण के तौर पर यदि किसी के पास 50 फ्लैट है तो वो 50 वोट देने का हकदार होगा ।
- (क) परन्तु वह उपरोक्त तीनों पदों में से केवल एक ही पद पर नामांकन प्रस्तुत कर सकेगा ।
17. मत पत्र ड्रॉप बॉक्स में मतदान केंद्र पर डाले जाएंगे मतदान समाप्ति के बाद में मत पत्रों की गणना की जाएगी
18. मत पत्र पर डबल मोहर अंकित होने पर यानी दो व्यक्तियों पर मोहर लगाने पर मत पत्र खारिज किया जाएगा/ निरस्त होगा
19. मतपत्र चुराने वाले के खिलाफ समिति द्वारा FIR दर्ज करवाई जा सकती है
20. मतदान दिवस के दिन मतदान समय से 30 मिनट पहले मतदाताओं से 10 मतदान का मॉक ड्रिल करवाया जाएगा जो बाद में वोटों की गिनती में शामिल नहीं होंगे
21. मतदान केंद्र के अंदर सिर्फ मतदान अधिकारी मतदान एजेंट तथा चुनाव अधिकारी की उपस्थित रहेंगे अन्य लोग नहीं रहेंगे
22. चुनाव प्रक्रिया में अशांति पैदा करना दंगा प्रसाद तथा अन्य अवांछित गतिविधियों के द्वारा चुनाव प्रक्रिया प्रभावित करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ BNS की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी
23. मतदान शांतिपूर्वक तथा निष्पक्ष करवाने की समस्त जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी वहन करेंगे
24. मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस ले जाना प्रतिबंधित रहेगा (अधिकृत कर्मियों को छोड़कर)।
25. किसी भी प्रकार की राजनीतिक प्रचार सामग्री, नारेबाजी या प्रतीक मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेंगे।
26. मतदाता की गोपनीयता (secrecy of vote) पूर्ण रूप से सुरक्षित रखी जाएगी और किसी भी व्यक्ति को वोट दिखाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
27. मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का दबाव, प्रलोभन या रिश्वतखोरी (bribery) पूरी तरह से अवैध होगी

निर्वाचन अधिकारी
 रामेश्वरम् रंजीडेंसी अपार्टमेंट
 ऑनर्स वेलफेयर समिति, सीकर

Signature

Signature

तीन कलर के बेल्ट पेपर होंगे

1. सफेद रंग अध्यक्ष के लिए
2. पिंग कलर सचिव के लिए
3. पीला कलर कोषाध्यक्ष के लिए

Note:- चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम व सवर्मान्य होगा।


निर्वाचन अधिकारी
रामेश्वरम् रेजीडेंसी अपार्टमेंट
ऑनर्स वेलफेयर समिति, सीकर



